

न्यायालय:— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी अशोकनगर, (म.प्र.)
(समक्ष – सैफी दाऊदी)

आपराधिक अपील क. 07/2017

संस्थित दिनांक 21.06.17

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र बल्देव सिंह आयु 40 वर्ष जाति लोधी
2. विक्रम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह आयु 26 वर्ष जाति लोधी, धंधा खेती, निवासीगण ग्राम बडेरा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र
चंदेरी, जिला अशोकनगर, म.प्र.

----- प्रत्यर्थी/अभियोजक

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/अभियोजन द्वारा :- अपर लोक अभियोजक उपस्थित नहीं।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक को पारित किया गया)

1. अपीलार्थीगण “जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्तगण कहा जायेगा” ने वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. श्री जफर इकवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 189/14 में घोषित आलोच्य निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 26.05.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण उनके विरुद्ध सिद्धदोष आरोप धारा 294 भा.द.वि. हेतु एक-एक माह के साधारण कारावास एवं 500-500/- रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 341 भा.द.वि. के आरोप हेतु 500-500/- रुपये के अर्थदंड से और धारा 323 भा.द.वि. के आरोप हेतु एक-एक माह के साधारण कारावास एवं 500-500/- रुपये के अर्थदंड से और उक्त अर्थदंडों में से किसी की अदायगी का व्यतिक्रम करने पर तीन-तीन दिवस के साधारण कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया है, उक्त दोनों दंडादेश एकसाथ भुगताये जाने के दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर किये गये अभिकथनानुसार उभयपक्ष का आपस में परिचित होना स्वीकृत तथ्य रहा है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोगी कृष्णाबाई लोधी अ.सा.1 ने दिनांक 29.03.14 की दोपहर साढ़े बारह बजे कारित हुई घटना के संबंध में अभियुक्तगण को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अंकित कराई की, घटना दिनांक को दोपहर साढ़े बारह बजे जब वह अछरोनी से कक्षा दसवीं की परीक्षा देकर अपने घर मोहनपुर आ रही थी, तब मोहनपुर बस स्टैंड के पास जब वह रास्ते में जा रही थी तो उसके ककिया ससुर राजेन्द्र जैन, विक्रम ने उसका रास्ता रोककर उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां दी और न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में राजीनामा कर लेने को कहा और जब अभियोगी ने मना करते हुए न्यायालय का फैसला मान्य होगा, यह कहा तभी उसने हाथ में ली हुई किसी चीज की उसे मारी, जिससे उसके दोनों हाथों के दड़ा पर चोट लगकर खून निकल आया। उसे उसके ससुर ने मारपीट की और ज्येठ ने धक्का दिया, वह रोककर चिल्लाई तो गांव का सरपंच चन्द्रभान आया तो उसे देखकर अभियुक्तगण चले गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने के पश्चात् अभियोगी का मेडीकल परीक्षण प्रदर्श पी 5 कराये जाने के उपरांत अनुसंधान के प्रक्रम पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी अब्दुल हमीद अ.सा.4 सहायक उपनिरीक्षक ने अभियोगी की निशानदेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 अंकित किया गया। अभियोगी तथा अन्य साक्षीगण के कथन अंकित किये जाने के पश्चात् अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 3 एवं 4 की कार्यवाही किये जाने के पश्चात उन्हें जमानतीय अपराध के परिप्रेक्ष्य में उन्हें जमानत पर उन्मुक्त करते हुए अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 341, 323, भा.दं.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया और अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, उन्हें झूठा फसाया जाना अभिकथित करते हुए प्रतिरक्षा में रामराज प्रति.सा.1, मलखान सिंह प्रति.सा.2 एवं स्वयं अभियुक्त राजेन्द्र सिंह प्रति.सा.3 ने अपना परीक्षण न्यायालय के समक्ष अंकित कराया है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्तगण को पूर्व उपरिलिखित दंडादेश अधिरोपित किया। उक्त दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।

6. **अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि** विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोगी एवं उससे हितबद्ध रिस्तेदार चंद्रभान के कथन पर विश्वास कर दोषपूर्ण आदेश पारित किया है। उक्त साक्षीगण के कथन में गंभीर विरोधाभास है। विद्वान विचारण न्यायालय ने

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्ष्य से घटना असत्य प्रमाणित होने के उपरांत भी दंडादेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। अभियोगी, अभियुक्त विक्रम के भाई की पत्नि होकर स्वेच्छा से पृथक निवासरत होकर उसने अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है, जिससे प्रमाणित है कि अभियोगी ने परेशान करने के उद्देश्य से झूठी रिपोर्ट की और स्वयं फरियादी के अनुसार अभियुक्तगण से उसका विवाद चल रहा है। अभियोजन साक्षी डॉ. सिद्धार्थ व अन्य साक्षीगण के कथन से भी घटना का समर्थन नहीं होता। अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अपराध भी साधारण है और प्रकरण वर्ष 2014 से विचारण में रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को कारावास का दंड दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 26.05.17 को अपास्त कर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने और अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

7. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य एवं सुसंगत विधि के अनुकूल है ?
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को प्रदत्त दंडादेश विधि के अनुकूल है ?

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :-

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजक की ओर से श्रीमती कृष्णाबाई अ.सा.1, चंद्रभान अ.सा.2, जयराम अ.सा.3, अब्दुल हमीद अ.सा.4 एवं डॉ. एस. पी. सिद्धार्थ अ.सा.5 के कथन अंकित कराये गये हैं। अभियुक्तगण ने अपनी प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा साक्षी रामराज प्रति.सा.1, मलखान प्रति.सा.2 एवं स्वयं अभियुक्त राजेन्द्र सिंह प्रति.सा.3 का परीक्षण न्यायालय के समक्ष अंकित कराया है।

9. अभियोगी कृष्णाबाई अ.सा.1 अपने मुख्य परीक्षण में प्रश्नगत घटना के समय जब वह अक्षरोनी से कक्षा दसवीं की परीक्षा देकर वापस आ रही थी, तब रास्ते में उसके ककिया ससुर राजेन्द्र ज्येष्ठ विक्रम का मिलना और उसे रोककर न्यायालय में विचाराधीन दहेज संबंधी केस में राजीनामा कर लेने का अभिकथन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा उसे मां बहन की अश्लील गाली देना और अभियोगी द्वारा राजीनामा नहीं करने की अभिव्यक्ति करने पर उसे दोनों ही अभियुक्तगण द्वारा पकड़कर डंडे से मारना जिससे उसे दोनों हाथों में चोट आना कथित करते हुए मौके पर गांव के सरपंच चंद्रभान के आ जाने से उन्हें देखकर अभियुक्तगण का भाग जाना कथित करती है और अपने द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 थाना चंदेरी पर अंकित कराने के पश्चात्

उसका चंदेरी अस्पताल में इलाज भी कराया जाना कथित करते हुए, पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही में प्रदर्श पी 2 की लिखापट्टी उसके समक्ष की जाना प्रकट करती है।

10. अभियोगी के उक्त कथन का समर्थनकारी अभिकथन साक्षी चंद्रभान अ.सा.2 मात्र इस तथ्य के संबंध में करता है कि अभियुक्तगण कृष्णाबाई की मारपीट कर रहे थे और जब कृष्णाबाई ने राजीनामा नहीं करने को कहा था, तो इसी बात पर अभियुक्तगण ने लाठी से उसकी मारपीट की थी और जब वह मौके पर पहुंचा तो अभियुक्तगण भाग गये थे। साक्षी जयराम अ.सा.3 के अभिकथनानुसार वह अपनी बड़ी लड़की के साथ वापस आ रहा था रास्ते में लोगों ने उसे घटना के बारे में बताया था।

11. अभियोगी मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्य विषयक जिन अभिकथनों को अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करती है, उन तथ्यों के संबंध में साक्षी जयराम अ.सा.3 द्वारा किया गया मुख्य परीक्षण में अभिकथित समर्थन उस दशा में कोई विधिक मूल्य नहीं रखता है, जहां कि यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में ही यह तथ्य कथित करता है कि जब वह अपनी बड़ी लड़की के यहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में लोगों ने उसे घटना के बारे में बताया था। अर्थात् इस साक्षी को घटना के संबंध में स्वयं अभियोगी/आहत कृष्णाबाई अ.सा.1 ने कोई तथ्य संसूचित नहीं किया है, जो कि **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8** के उपबंध आलोक में अभियोगी के घटना के पश्चात्, पश्चात्वर्ती आचरण द्वारा किये गये परिवाद की श्रेणी में आकर इस साक्षी को वह तथ्य संसूचित किये जाने से यह साक्षी **इसी अधिनियम की धारा 60 के उपबंध** के आलोक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की कोटि में समाहित हो जाता है और जहां उक्त परिस्थिति स्वयं साक्षी जयराम के अभिकथन से प्रकट ही नहीं है कि उसे अभियोगी ने घटना के पश्चात् घटना से संबंधित तथ्यों को संसूचित किया है, वहां साक्षी जयराम को रास्ते में लोगों द्वारा घटना के बारे में बताया जाना इस साक्षी को अनुश्रुत साक्षी की कोटि में समाहित कर देता है और इस साक्षी के मुख्य परीक्षण में अभिकथित कथन का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं रह जाता।

12. जहां तक साक्षी चंद्रभान अ.सा.2 द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियोगी के कथन का समर्थन किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, मारपीट होने के अलावा यह साक्षी अन्य कोई घटना उसके सामने नहीं होना अपने मुख्य परीक्षण में ही कथित करता है और स्वयं अभियोगी कृष्णाबाई अ.सा.1 अपने मुख्य परीक्षण में इस तथ्य को कथित करती है कि अभियुक्तगण ने डंडे से उसे दोनों हाथों में चोट पहुंचायी और मौके पर गांव का सरपंच चंद्रभान आया तो उन्हें देखकर दोनों अभियुक्तगण भाग गये थे। अर्थात् साक्षी चंद्रभान प्रश्नगत घटना के संपन्न होने के लगभग अंतिम समय में या उसके पश्चात् मौके पर पहुंचा है और ऐसी स्थिति में इस साक्षी के अभिकथन से अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी को अश्लील गालियां उच्चारित करने और उसका रास्ता रोकने का तथ्य पुष्ट नहीं है। यह तथ्य मात्र अभियोगी कृष्णाबाई अ.सा.1 के ही अभिकथन पर अवलंबित है और उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी की कोई साक्ष्य नहीं है।

13. प्रतिरक्षा साक्षी रामराज प्रति.सा.1 वर्ष 2014 में हसारी बस स्टैंड पर कोई

घटना नहीं होना अभिकथित करता है और प्रश्नगत घटना को कारित नहीं होने विषयक अपने मुख्य परीक्षण में तथ्य अभिकथित करता है। प्रतिपरीक्षण के प्रक्रम पर कंडिका 6 के इस अभिकथन द्वारा यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथन की सत्यता को समाप्त करता है कि यदि आरोपीगण कहीं कोई घटना कर दें, तो उसे जानकारी नहीं रहती, उसे कोई बतायेगा तभी मालूम पड़ेगा। यही स्थिति साक्षी मलखान प्रति.सा.2 के अभिकथन की भी है। मलखान प्रति.सा.2 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह तथ्य संसूचित करता है कि वह अभियुक्तगण के कहने पर न्यायालय में बयान देने आया है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी के कथन से भी अभियोगी के कथन का असत्य होना प्रकट नहीं होता है।

14. प्रतिरक्षा साक्षी राजेन्द्र सिंह प्रति.सा.3 स्वयं ही घटना के संबंध में अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति है, जिसका अभिकथन अभियोगी के कथन का सत्यता को समाप्त करने हेतु उस दशा में पर्याप्त नहीं है, जहां कि साक्षीगण रामराज एवं मलखान सिंह कथन से अभियोजन प्रकरण की सत्यता पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो जाती है।

15. यद्यपि अभियोगी, अभियुक्तगण द्वारा उसका रास्ता रोककर, उसे मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देना अभिकथित करती है, किन्तु अभियोगी इस तथ्य को स्पष्ट नहीं करती कि, क्या रास्ता रोके जाते समय अभियुक्तगण द्वारा उसके समक्ष स्वयं खड़े होकर कोई वस्तु उसके समक्ष अड़ाते हुए या उसके समक्ष किसी वस्तु को जमीन पर पटककर या डालकर उसे उसकी वांछित दिशा में जाने से रोककर अवरुद्ध किया था या वह स्वयं ही रूक गयी थी। उक्त तथ्यों के अभाव में और किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोगी का उक्त प्रयोजन संबंधी अभिकथन पुष्ट नहीं किये जाने से मात्र अभियोगी के इस अभिकथन पर कि, अभियुक्तगण ने उसका रास्ता रोका था, उक्त तथ्य को विधि की अपेक्षा अनुसार प्रमाणन होना नहीं माना जा सकता।

16. इसी प्रकार अभियोगी ने जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में गाली के विशिष्ट शब्दों को उल्लेखित नहीं कराया है और जहां कि अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी को गाली दिये जाने के तथ्य को पुष्ट किये जाने हेतु किसी स्वतंत्र साक्षी की ऐसी कोई साक्ष्य यह प्रकट करने हेतु अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण ने गाली के किन विशिष्ट शब्दों को उच्चारित किया था, जिन्हें सुनकर अभियोगी को क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में समर्थनकारी साक्ष्य के अभाव में इस तथ्य को भी विधि की अपेक्षा अनुसार प्रमाणन होना नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण ने अभियोगी को ऐसे शब्द उच्चारित करते हुए गालियां दी थी, जो अश्लील होकर जिसे श्रवण करने के उपरांत अभियोगी को वह शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगे थे अर्थात् अभियोगी को उन शब्दों को सुनकर क्षोभ कारित हुआ था।

17. उक्त तथ्यों के अभाव में अभियोजन प्रकरण अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294 एवं 341 भादवि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में विधि की अपेक्षा अनुसार प्रमाणन होना प्रकट नहीं होता और विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त अपराध से संबंधित आरोपों हेतु अभियुक्तगण को सिद्धदोष घोषित करने में विधिक त्रुटि कारित की

है। अतः उक्त आरोपों से संबंधित निष्कर्ष अपास्त किये जाने योग्य होने से अपास्त कर अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह एवं विक्रम सिंह को धारा 341, 294 भादवि के आरोप से दोषमुक्त कर, उक्त आरोपों के संबंध में प्रदत्त दंडाज्ञा को अपास्त कर, अभियुक्तगण को स्वतंत्र किया जाता है।

18. जहां तक अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी को स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अंकित कराये जाने के पश्चात् अभियोगी का मेडीकल परीक्षण कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 में अभियोगी के दोनों ही हाथ में 3.5 गुणित 4 सेमी. की एक-एक खरौंच विद्यमान होना अंकित किया गया है इस तथ्य की पुष्टि साक्षी डॉक्टर एस.पी. सिद्धार्थ अ.सा.5 भी अपने कथन में अभिकथित करता है।

19. अभियोगी के प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई तथ्य उद्भूत नहीं होता कि साक्षी डॉ. एस.पी. सिद्धार्थ की कोई रंजिश अभियुक्तगण से अथवा कोई हितबद्धता अभियोगी से होने से इस साक्षी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श पी 5 की एम.एल.सी. अभियोगी के शरीर पर चोट विद्यमान होने के संबंध में अभिलिखित कर दी है। वहीं दूसरी ओर अभियोगी कृष्णाबाई के प्रतिपरीक्षण के अभिकथन से भी ऐसा कोई तथ्य उद्भूत नहीं है कि उसने अपने शरीर पर यह चोटें स्वयं कारित की थीं, वहां ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अभियोगी द्वारा अंकित कराये गये दोनों हाथों पर उसके मेडीकल परीक्षण के समय चोटें विद्यमान होना और इसका कोई उचित स्पष्टीकरण अभियोगी कृष्णाबाई अ.सा.1 के प्रतिपरीक्षण से प्रकट नहीं होना कि उसने यह चोटें स्वयं कारित की हैं, यह चोटें अभियुक्तगण द्वारा ही कारित आपराधिक कृत्य का परिणाम होना प्रमाणित होता है।

20. ऐसी स्थिति में उक्त समस्त तथ्यों पर विद्वान विचारण न्यायालय ने विचार करते हुए अभियुक्तगण को धारा 323 भा.द.वि. के आरोप हेतु सिद्धदोष घोषित करने का निष्कर्ष देने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 323 भा.द.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में पारित निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :-

21. जहां तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर उन्मुक्त नहीं किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदत्त करने में इस आधार पर अनिच्छा व्यक्त की है कि प्रश्नगत घटना महिला के साथ कारित की गयी है, वहां यह निष्कर्ष भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूपेण निष्कर्षित किया है।

22. जहां तक अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोप धारा 323 भा. द.वि. हेतु एक-एक माह के साधारण कारावास एवं 500-500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित करने और अर्थदंड जमा किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने पर तीन-तीन दिवास के अतिरिक्त साधारण से दंडित किये जाने का निष्कर्ष है, उक्त दंडादेश के संबंध

में यदि आहत अभियोगी कृष्णाबाई को कारित चोट मात्र खरौंच के रूप में होना जिससे उसकी लंबे समय तक दिनचर्या प्रभावित नहीं होना प्रकट होने से अभियुक्तगण को प्रदत्त कारावास का दंडादेश स्वयं में कठोर होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दंडाज्ञा को परिवर्तित एवं संशोधित कर अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह एवं विक्रम सिंह को उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोप धारा 323 भा.द.वि. के आरोप हेतु न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं 1000—1000/— “एक—एक हजार रुपये” के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त कारावास के रूप में भुगताया जाये।

23. अभियुक्तगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराई गयी अर्थदंड की राशि उसके वर्तमान अपील में प्रदत्त अर्थदंड की राशि में समायोजित की जाये तथा अभियुक्तगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 294 एवं 341 भादवि के आरोप हेतु जमा कराई गयी अर्थदंड की राशि भी उसके वर्तमान अर्थदंड की राशि में समायोजित की जाये।

24. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराई गयी अर्थदंड की राशि वर्तमान अपील के अर्थदंड की राशि में समायोजित करने के पश्चात् अवशेष राशि, उन्हें अपील अवधि पश्चात् वापस लौटायी जाये।

25. अभियुक्तगण जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

26. प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल नहीं है।

27. उक्तानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, निराकृत की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,
अशोकनगर (म.प्र.)
दिनांक— 24.01.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
अशोकनगर (म.प्र.)